प्रेस नोट–155 / 2026
दिनांक 18.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा आगरा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 18.03.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मीरजापुर तथा आगरा इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मीरजापुर इकाई द्वारा श्रीमती मीरा देवी निवासी पीली कोठी मिर्जापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर का रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार चौरसिया के नेतृत्व में राबर्टसगंज रोडवेज परिसर स्थित मन्दिर के पास से **डाटा इन्ट्री आपरेटर चंचल कुमार यादव** पुत्र प्रेमचन्द्र यादव निवासी ग्राम पवना थाना जफराबाद जनपद जौनपुर को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आगरा इकाई द्वारा श्रीमती सुनीता निवासी ग्राम तरौली सुभाली थाना छाता जनपद मथुरा से आशा कार्यकत्री के मानदेय को खाते में भेजने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक सहवीर सिंह के नेतृत्व में बीसीपीएम कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र चौमुहाँ जनपद मथुरा के पास से **बीसीपीएम (ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर) अमित कुमार वर्मा** पुत्र राजेन्द्र प्रसाद वर्मा निवासी फ्लैट नं0-2 हैजा हॉस्पिटल वृन्दावन मथुरा को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–156/2026
दिनांक 18.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–डकैती/लूट की घटना में जनपद लखीमपुर खीरी से वाछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18–03–2026 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2026 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंषुल शुक्ला उर्फ अंषु को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. अंशुल शुक्ला उर्फ अंषु पुत्र श्रवण कुमार शुक्ला निवासी हलियापुर, थाना मैगलगंज, जनपद खमीमपुर खीरी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

अशोकनगर कस्बा कुरसठ थाना क्षेत्र माधोगंज, जनपद हरदोई। दिनांक 18–03–2026 समय 01.35 बजे रात्रि।

एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु विभिन्न इकाईयों/टीमों को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त क्रम में उप निरीक्षक श्री जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में मु0आ0 मुनेन्द्र सिंह मृत्युन्जय सिंह, यषवन्त सिंह, अजीत सिंह चालक सुभाष की टीम जनपद हरदोई में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त वांछित अभियुक्त अंषुल उर्फ अंषु अषोकनगर कस्बा कुरसठ थाना क्षेत्र माधोगंज, जनपद हरदोई के पास मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अंषुल उर्फ अंष ने पूछताछ में बताया कि वर्ष–2019 मे आपसी विवाद में ग्राम अलीयागंज निवासी मुन्नेलाल की हत्या कर दिया था। इस

घटना में जेल गया था। वर्ष–2021 में जेल से छूटकर बाहर आया। वर्ष–2024 में गॉव की लड़की से छेड़खानी के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था। वर्ष–2026 में यह अपने साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र फरधान जनपद लखीमपुर में बैंक मित्र से लूट की घटना किया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना में शामिल अभियुक्तो को स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है तथा वह फरार चल रहा था जिसमें गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त अंषुल उर्फ अंष शुक्ला को थाना फरधान, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2026 धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त अंशुल शुक्ला उर्फ अंश का आपराधिक इतिहासः–

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	416/2019	452, 354, 511, 302, 307, 506, 34 भादवि	मैगलगंज	लखीमपुर खीरी
2	613/2019	2/3 गैगेस्टर एक्ट	मैगलगंज	लखीमपुर खीरी
3	285/2024	131, 353, बीएनएस	मैगलगंज	लखीमपुर खीरी
4	94/2026	351 (2) बीएनएस	मैगलगंज	लखीमपुर खीरी
5	37/26	209(4), 317(2) बीएनएस	फरधान	लखीमपुर खीरी

जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.03.2026 को थाना शिवरतनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज उर्फ रामदत्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मोहनगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनोज उफ रामदत्त निवासी उजेहनी थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 43 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 18.03.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंशापुर नहर पटरी बालपुर रजवाहे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अब्दुल रहमान 2–दिलेशान घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 43 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल रहमान निवासी दया गार्डन कॉलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2–दिलेशान निवासी मिल्लतनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 43 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

- **<u>जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना सिकन्दरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अशोक कुमार को आजीवन कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सम्भल/थाना बनियाठेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सम्भल पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सम्भल द्वारा थाना बनियाठेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जगत को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————